रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 289] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 20, 1973/श्रावण 29, 1895

No. 289] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 20, 1973/SRAVANA 29, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.**

## MINISTRY OF COMMERCE

**(Office of the Jute Commissioner)**

NOTIFICATION

*Calcutta, the 20th August* 1973

**S.O. 446(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade (Office of the Jute Commissioner) No. S.O. 5262, dated the 1st December, 1971 (hereinafter referred to as the said notification), the Jute Commissioner had fixed Rs. 207.77 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B. Twills, mentioned in the said notification, shall be purchased or sold during the month of December, 1971;

And whereas it was specifically provided in the said notification that the said price is liable to be revised and fixed by the Central Government after taking into consideration the recommendations of the Tariff Commission and the price so fixed shall be the price at which suppliers are entitled to be paid for deliveries made during the said month;

And whereas the recommendations of the Tariff Commission made in this behalf have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause 8 of the Jute (Licensing and Control) Order, 1961, the Jute Commissioner hereby fixes Rs. 213.32 per 100 bags as the final maximum ex-factory price at which suppliers

shall be entitled to be paid for deliveries made in respect of the said variety of jute textiles during the months of December, 1971, subject to the condition that the other terms specified in the said notification shall remain unaltered.

*Explanatory Memorandum*

The price fixed under Notification No. S.O. 5262 dated the 1st December, 1971 was provisional and liable to be revised after taking into consideration the recommendations of the Tariff Commission. Government's decisions on the Tariff Commission's recommendations were announced on the 12th December, 1972, and the price has been determined on that basis. No one will be adversely affected by the revised price and its retrospective operation.

[No. Jute(CA)-99/73].

S. N. CHAKRAVARTEE,
Jute Commissioner

**वाणिज्य मंत्रालय**

**(जूट आयुक्त का कार्यालय)**

अधिसूचना

कलकत्ता, 20 अगस्त, 1973

**का०आ० 446(अ).**—यत: भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय (जूट आयुक्त का कार्यालय) की अधिसूचना सं० का०आ० 5262, तारीख 1 दिसम्बर, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा जूट आयुक्त ने प्रति 100 बैग 207.77 रु० उस अधिकतम कारखाना द्वार कीमत के रूप में नियत किया था जिस पर उक्त अधिसूचना में वर्णित बी ट्विल्स, 1971 के दिसम्बर मास के दौरान खरीदे या बेचे जाएंगे;

और यत: उक्त अधिसूचना में यह विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्धित था कि उक्त कीमत, केन्द्रीय सरकार द्वारा टैरिफ आयोग की सिफारिशों पर विचार कर लेने के पश्चात् पुनरीक्षित और नियत किए जाने के दायित्व के अधीन है और इस प्रकार नियत कीमत वह कीमत होगी जिस पर प्रदायक उक्त मास के दौरान किए गए परिदानों के लिए संदत्त किए जाने के हकदार होंगे;

और यत: इस निमित्त की गई टैरिफ आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत:, अब, जूट (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जूटआयुक्त प्रति 100 बैग 213.32 रु० उस अन्तिम अधिकतम कारखाना-द्वार कीमत के रूप में नियत करता है जिस पर प्रदायक-जूट-वस्त्रों की उक्त किस्म की बाबत 1971 के दिसम्बर मास के दौरान किए गए परिदानों के लिए संदत्त किए जाने के इस शर्त के अधीन रहते हुए हकदार होंगे कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अन्य निबन्धन अपरिवर्तित रहेंगे ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

अधिसूचना सं० का०आ० 5262, तारीख 1 दिसम्बर, 1971 के अधीन नियत की गई कीमत अन्तिम थी और टैरिफ आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् पुनरीक्षित किए जाने के दायित्व के अधीन थी। टैरिफ आयोग की सिफारिशों के संबंध में सरकार के विनिश्चय 12 दिसम्बर, 1972 को आख्यापित किए गए थे और कीमत इस आधार पर अवधारित की गई है। पुनरीक्षित कीमत और उसके भूतलक्षी प्रवर्तन से किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० जूट (सी० ए०)-99/73]

एम० एन० चक्रवर्ती,

जूट आयुक्त।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973